(iv) rising cost of fishing operations;

(v) need for fuller fishery resources data and

(vi) low consumer preference for the majority of deep sea fishes.

(d) Some of the important steps taken in this matter are :—(i) Encouragement by the States in diversifying fishing activities ; (ii) enactment of legislation based on the model circulated by the Central Government for regulating fishing in different fi hing areas within the territorial waters by different types of fishing craft ; (iii) augmeatation of deep sea fishg fleet through judicious mixture of indiinous, imported and chartered fishing vesneels ; (iv) providing 33 per cent subsidy ougs thecost of hidigenously constructed vessels ; (v) providinig loans on soft terms for purchase of fishing velles; through the Shipping Development Fund Committee ; augmentation of fisheries surveps; (vii) assistance for construction of fishing harqours at major and mino ports and of landing and berting facilities at smaller fishing centres ; (viii) augmentation of raining facilities and (ix) regulation of fishing by foreign vessels in the Excusive Economic Zone. For this purpose, The Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981' has come into force with effect from 2nd November, 1981.

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "कुरुमुला" से फसलों को हानि

*173. **श्री हरीश रावत :**
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "कुरुमुला" नामक कीड़े से फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस कीड़े से फसलों की समुचित रोकथाम हेतु उपलब्ध कीटनाशक बहुत मंहगे हैं था इस क्षेत्र के गरीब किसान इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कीड़े को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ! उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "कुरुमुला" से फसलों की क्षति होने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) "कुरुमुला" (बड़े तथा छोटे दोनों) के नियंत्रण के लिए अनेक कीटनाशी औषधियों की सिफारिश की गयी है । इन कीटनाशियों की लागत भिन्न भिन्न है, जो प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशी की किस्म तथा नियंत्रित किए जाने वाले कीट की अवस्था पर निर्भर करती है । आयातित कीटनाशी दवाओं की नई किस्में मंहगी हैं । तथापि, उनके स्थान पर बी० एच० सी० जैसे सस्ते कीटनाशी, जो समान रूप से प्रभावी हैं, सुगमता से उपलब्ध हैं ।

(ग) (1) वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार फसलों की "कुरुमुला" से होने वाली हानि को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के परामर्श से राज्य कृषि विभाग द्वारा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नियंत्रण नीति तैयार की गयी है ।

(2) भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत "कुरुमुला" कीट के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है । तथापि, वे इस सहायता का स्वयं लाभ नहीं उठा रहे हैं । क्योंकि इस प्रयोजन के लिए उनके पास राज सहायता की अपनी योजना है ।

Neradi Barrage Project

*174. SHRI GIRIDHAR GOMANGO Will l the Minister of IRRIGATION be eased to state :